भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1417

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत के निर्यात को बढ़ावा देना

1417. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत के निर्यात को बढ़ावा देने और भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हाल ही में कोई योजना कार्यान्वित की हैः

(ख) यदि हां, तो निर्यातकों विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र में निर्यातकों की सहायता करने के लिए विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण पहल की गई है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय सामग्री और सेवाओं के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान नियात निष्पादन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यात वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन–से हैं ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) सरकार ने भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने और भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न नीतिगत उपाय और पहलें शुरू की है। विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) 2023 ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुरूप निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन–आधारित दृष्टिकोण से छूट–आधारित ढाचे की ओर बदलाव की रूपरेखा तैयार की है। यह नीति वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ावा देती है, अनुमोदनों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करती है, ई–कॉमर्स निर्यात के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, और नए निर्यात उत्कृष्टता शहरों और ज़िला–स्तरीय निर्यात केंद्रों के विकास को बढ़ावा देती है।

इसके अलावा, निर्यात बंधु स्कीम क्षमता निर्माण और जागरूकता पहलों के माध्यम से उभरते निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई, का मार्गदर्शन और परामर्श देती रहेगी। ये प्रयास भारत की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में निरंतर और समावेशी वृद्धि को समर्थन देने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

(ख) नई विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत, निर्यातकों के लाभ के लिए कई लक्षित उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें शामिल हैंः

- आरओडीटीइपी स्कीमः 1 अप्रैल, 2021 से लागू, यह वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹18,232.50 करोड़ के बजट आवंटन के साथ 10,642 टैरिफ लाइनों को कवर करती है और 30 सितंबर, 2025 तक डीटीए निर्यातों पर लागू होती है।
- आरओएससीटीएल स्कीमः मार्च 2019 से लागू, यह योजना केंद्रीय और राज्य शुल्कों और करों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से श्रम–प्रधान वस्त्र क्षेत्र के निर्यात का समर्थन करती है।

- निर्यात संवर्धन मिशनः केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित और वर्तमान में अंतर–मंत्रालयी परामर्श के अधीन, प्रस्तावित निर्यात संवर्धन मिशन का उद्देश्य एमएसएमई निर्यातकों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। मसौदा ढाँचा नकदी प्रवाह में सुधार, लेन–देन संबंधी बाधाओं को कमर और बाजार पहुँच का विस्तार करके एमएसएमइ को वैश्विक व्यापार में बेहतर भागीदारी करने में सक्षम बनाने पर ज़ोर देता है।

- ट्रेड कनेक्ट ई–प्लेटफ़ॉर्मः भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमइ को व्यापार संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह मंच वाणिज्य विभाग, विदेश स्थित भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और अन्य संगठनों के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए एक ऑनलाइन केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, ताकि भारतीय निर्यातकों को सूचना, प्रश्नों के उत्तर आर ऑनलाइन सेवाओं, जैसे कि उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने, के रूप में व्यापक सहायता प्रदान की जा सके।

- निर्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच) पहलः यह जिला–विशिष्ट उत्पादों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने तथा स्थानीय स्तर पर निर्यात संभार तंत्र और बुनियादी ढांचे में क्षमता निर्माण में मदद करता है।

- निर्यात उत्कृष्टता शहरों (टीईई) का विस्तारः उपयुक्त नीतिगत समर्थन के साथ एमएसएमई–आधारित समूहों को बढ़ावा देने के लिए टीईई की संख्या में वृद्धि की गई है।

(ग) (सरकार ने निर्यात संवर्धन को प्राथमिकता देने के लिए 20 महत्वपूर्ण देशों और वस्तुओं एवं सेवाओं प्रत्येक में 6 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है।) निर्यात विस्तार की रणनीतियों पर चर्चा के लिए जनवरी 2025 में इन देशों में भारतीय मिशनों के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, नीदरलैंड, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, कोरिया गणराज्य, तुकिए, संयुक्त अरब अमीरात, यूके, संयुक्त संघ अमेरिका आर वियतनाम शामिल हैं। भारत बाजार पहुंच बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख वै"वक भागीदारों के साथ व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर वार्ता और समापन करने में सक्रिय रुप स लगा हुआ है। इन नियमित और रणनीतिक व्यापार समझौतों के माध्यम से भारत विकसित वै"वक ट्रेड आर्किटेक्चर में एक वि"वसनीय और अनुकूल भागीदार के रुप में उभर रहा है। हाल ही में संचालित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भारत–मॉरि"ास व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए) (2021), भारत–यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) (2022) और भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) (2022) शामिल हैं। इसके अलावा, हाल ही में दो प्रमुख व्यापार समझौते संपन्न हुए हैंः भारत–यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता और भारत–यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीइपीए)। भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाज़ार पहुँच को सुगम बनाने के लिए इयू, संयुक्त संघ अमेरिका, पेरू, चिली, ओमान और न्यूज़ीलैंड सहित कई वैश्विक साझेदारों के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत भी चल रही है।

(घ) पिछले दो वित्तीय वर्षों में, 31 प्रमुख उत्पाद क्षेत्रों ने भारत के निर्यात प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रमुख योगदानकर्ताओं में शामिल हैंः पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, औषधियाँ और भेषज, रत्न और आभूषण, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, चावल, सूती धागा/कपड़े/बने बनाए सामान, हथकरघा उत्पाद, समुद्री उत्पाद, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, मसाले, चमड़े के सामान, लौह अयस्क, चाय, हस्तशिल्प, काजू, और अन्य।

वित्तीय वर्ष 2023–24 और 2024–25 के लिए प्रतिशत वृद्धि सहित विस्तृत क्षेत्रवार निर्यात प्रदर्शन रिपोर्ट अनुबंध–1 में संलग्न है।

अनुलग्नक–I

क्रम सं.	प्रमुख वस्तु	2023-24	2024-25
1	इंजीनियरिंग वस्तुएं	109,301	116,637
2	पेट्रोलियम उत्पाद	84,157	63,341
3	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	29,123	38,578
4	दवाएँ और भेषज	27,852	30,467
5	रत्न और आभूषण	32,707	29,814
6	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	29,382	28,699
7	सभी कपड़ों के रेडिमेड गामट	14,532	15,989
8	चावल	10,417	12,472
9	सूती धागा/फैब्रिक/मेड–अप, हथकरघा उत्पाद आदि	11,684	12,056
10	प्लास्टिक और लिनोलियम	8,092	8,919
11	समुद्री उत्पाद	7,372	7,405
12	मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद	4,527	5,096
13	अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, खनिज (प्रसंस्कृत सहित)	4,682	5,042
14	मानव निर्मित धागा/फैब्रिक/बने बनाए सामान आदि	4,679	4,869
15	मसाले	4,249	4,452
16	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	4,283	4,371
17	सिरेमिक उत्पाद और कांच के बने पदार्थ	4,277	3,988
18	फल और सब्जियां	3,662	3,871
19	अनाज से बनी वस्तुएं और विविध प्रसंस्कृत वस्तुएं	2,853	3,102
20	लौह अयस्क	3,914	2,083
21	तंबाकू	1,450	1,979
22	कॉफी	1,286	1,806
23	हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर)	1,802	1,767
24	कालीन	1,395	1,541
25	खली	1,714	1,344
26	तिलहन	1,437	1,344
27	चाय	826	924
28	फर्श कवरिंग सहित जूट निर्माण	339	384
29	काजू	339	338
30	अन्य अनाज	518	271
31	अन्य	24,223	24,465
कुल निर्यात		437,072	437,416

स्रोतः डीजीसीआइएस (2024–25 के आंकड़ों के आधार पर क्रमबद्ध – "अन्य" को अंत में रखते हुए)

*****